

प्रेषक,

महानिदेशक,

परिवार कल्याण महानिदेशालय,

उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,

उत्तर प्रदेश (जनपद कानपुर देहात, श्रावस्ती व अमेठी को छोड़कर)।

पत्र संख्या-प०क०-13/सं०नि०न०/UPHC-UCHC/दिशा-निर्देश/131/2019-20/171-72 दिनांक 12 अप्रैल 2019

विषय:- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नगरीय प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के संचालन हेतु दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत सरकार से प्राप्त आर०ओ०पी० में स्वीकृत राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नगरीय प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के संचालन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश तैयार कर पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए नगरीय प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के संचालन हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा एस०पी०एम०यू० कार्यालय से प्राप्त वित्तीय दिशा-निर्देशों के अनुसार ही धनराशि का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(डा० नीना गुप्ता)

महानिदेशक

पू०प०संख्या- प०क०-13/सं०नि०न०/UPHC-UCHC/दिशा-निर्देश/131/2019-20/

तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
- 3- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
- 4- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त जिलाधिकारी/जिलाध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
- 6- महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
- 7- समस्त अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (नोडल), राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
- 8- समस्त मण्डलीय अरबन हेल्थ कन्सलटेन्ट, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
- 9- समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जनपदीय अरबन हेल्थ कोआर्डिनेटर, एन०यू०एच०एम०, उत्तर प्रदेश।

(डा० नीना गुप्ता)

महानिदेशक

प्रेषक,

महानिदेशक,

परिवार कल्याण महानिदेशालय,

उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,

उत्तर प्रदेश (जनपद कानपुर देहात, श्रावस्ती व अमेठी को छोड़कर)।

पत्र संख्या-प०क०-13/सं०नि०न०/UPHC-UCHC/दिशा-निर्देश/131/2019-20/

दिनांक 12 अप्रैल 2019

विषय:- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नगरीय प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के संचालन हेतु दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत सरकार से प्राप्त आर०ओ०पी० में स्वीकृत राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नगरीय प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के संचालन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश तैयार कर पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए नगरीय प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के संचालन हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा एस०पी०एम०यू० कार्यालय से प्राप्त वित्तीय दिशा-निर्देशों के अनुसार ही धनराशि का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(डा० नीना गुप्ता)

महानिदेशक

पू०प०संख्या- प०क०-13/सं०नि०न०/UPHC-UCHC/दिशा-निर्देश/131/2019-20/243-382 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
- 3- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
- 4- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त जिलाधिकारी/जिलाध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
- 6- महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
- 7- समस्त अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (नोडल), राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
- 8- समस्त मण्डलीय अरबन हेल्थ कन्सलटेन्ट, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
- 9- समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जनपदीय अरबन हेल्थ कोआर्डिनेटर, एन०यू०एच०एम०, उत्तर प्रदेश।

(डा० नीना गुप्ता)

महानिदेशक